# न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)

**पीठासीन अधिकारी : पर्वत सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.**

**पत्रावली संख्या : 132/22 (वाद)**

**GCMS No. : 2022/451**

**अनवान**

1. श्री प्रताप सिंह पिता श्री लाल सिंह राजपुत निवासी अमरपुरा जागीर तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
2. श्री प्रेमसिंह राजपुत के बजाय :–
   2./1 श्रीमती चन्द्र कुवंर पत्नि श्री प्रेमसिंह राजपुत निवासी अमरपुरा जागीर तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
   2./2 श्री शंकर सिंह पिता श्री प्रेमसिंह राजपुत निवासी अमरपुरा जागीर तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
   2./3 श्रीमती दुर्गा कुवंर पिता श्री प्रेमसिंह राजपुत निवासी अमरपुरा जागीर तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
   2./4 श्रीमती सोना कुवंर पिता श्री प्रेमसिंह राजपुत निवासी अमरपुरा जागीर तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
   2./5 श्रीमती गज्जु कुंवर पिता श्री प्रेमसिंह राजपुत निवासी अमरपुरा जागीर तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
3. श्री भभुत सिंह पिता श्री रामसिंह राजपुत निवासी अमरपुरा जागीर तहसील कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

..................वादी

बनाम

1. श्रीमती नन्द कुवंर पुत्री श्री सव सिंह जी राजपुत निवासी अमरपुरा जागीर तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
2. श्रीमती कैलाश कुवंर पुत्री श्री सव सिंह जी राजपुत निवासी अमरपुरा जागीर तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
3. श्री हिम्मत सिंह पिता श्री सव सिंह जी राजपुत निवासी अमरपुरा जागीर तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।
4. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.।

..................प्रतिवादीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी.**

**– : : निर्णय : : –** दिनांक : 18.01.2024

1. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी. का पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय [illegible] के वाद की पेशी दिनांक 11.05.2017 की नियत थी उस दिन राजस्व लोक अदालत शिविर [illegible] में होने से उस दिन की समस्त पेशीये नोटीस बोर्ड पर दिनांक 27.07.2017 नियत की गई थी। नियत दिनांक 27.07.2017 को पत्रावली उपलब्ध नहीं होने से सिगाह में आकर [illegible] तो पता लगा कि वाद [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.02.23 16:58:39 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री कर दिया गया हैं। यह कि हम को बिना सुने ही बिना पक्षकार की मौजूदगी में वाद डिक्री किये जाने की जानकारी हुई जो डिक्री अनुपालना इस प्रार्थना पत्र के जरिये रोकी जाना आवश्यक होने से यह प्रार्थना पत्र लाया जा रहा हैं जबकि दिनांक 27.07.2017 को पक्षकारो की उपस्थिति में वाद डिक्री होना चाहिए था परन्तु बिना पक्षकारों की मौजूदगी में वाद डिक्री की जाने की कानूनी भूल को सूना जाना आवश्यक हैं। उक्त विवादग्रस्त आराजी में सवसिंह शिवनाथसिंह जो हक हिस्सा था उन्होने अपने जीवनकाल में 1 विघा जमीन मुझ प्रतिवादी संख्या 2–3 जरिये विक्रय पत्र विक्रय कर आधिपत्य सिपूर्द किया तब से हमारा कब्जा चला आ रहा हैं उक्त आराजी जरिये विक्रय रजिस्टर्ड होने से खातेदार भी हम प्रतिवादी को वनाया गया था इसी तरह मुझ प्रतापसिंह ने जो आराजी नम्बर 101/1 रकबा 02 विघा 08 बिस्वा जमीन भी क्रय की जिससे खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज हो काश्त कर रहा हूँ जिससे भी वादीया का वाद डिक्री किये जाने में कानुनी त्रुटी रही हैं वादीया व प्रतिवादी ने मिलकर पीठासीन अधिकारी को अन्धेरे में रख गलत वाद डिक्री कराया है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 का किसी तरह से खाते में व मौके पर कोई कब्जा नहीं था न हैं जबकि इस मामले में मेरी ओर से जबाव दावा पेश करना हैं तथा मुझे सुना जाना आवश्यक हैं जिस पर मै वल्लभनगर न्यायालय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त की व जानकारी प्राप्त कर एक पक्षीय डिक्री को निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्दर मयाद जानकारी प्रस्तुत कर रहें हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर डिक्री निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 3 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1, 2 की तरफ से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है की प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उक्त अनवान की पेशी दिनांक 11.05.2017 को नियत थी कहना सही है अन्य कथन अस्वीकार है पत्रावली की ओडर सिट दिनांक 16.02.2017 को पेशी वास्ते जवाब हेतु दिनांक 11.05.2021 को नियत की गई फिर लोक अदालत होने से दिनांक 01.05.2017 को पत्रावली के पक्षकारों को सुचित किया जाकर पत्रावली दिनांक 10.05.2017 को केम्प कोर्ट अमरपुरा में रखी गई। विपक्षी को अच्छी प्रकार से अपनी पेशी तारीख की जानकारी थी इसके बाद उसे लोकअदालत की जानकारी भी थी फिर भी जान बुझकर प्रतिवादी उक्त पेशी पर उपस्थित नहीं हुऐ जबकि प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित हुआ था क्योकि उसे भी जानकारी कोर्ट से ही मिली थी। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 में व वर्णित कथन गलत है, सम्पूर्ण भूमि वादी के दादा फतह सिंह जी की थी जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा बनता है जिसे ही न्यायालय द्वारा डिक्री पारित किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 1 ने ओडरसिट पर लिखित सहमती भी पेश की है। प्रार्थी आप माननीय न्यायालय से स्वच्छहाथो से नही आया है प्रार्थी ने इस न्यायालय के आदेश की डिक्री भूप्र[illegible]ारी एवं पदेन राजसव अपील अधिकारी के समक्ष भी धारा 223 रा[illegible] के तहत अपील [illegible] जो दोनो पक्षो को सुनने के बाद दिनांक 19.10.2020 को प्रार्थी/अपीलार्थी की उक्त अपील को खारिज किया गया हैं। दिनांक 19.

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.02.23 16:58:39 IST
Reason: SelfAttested

10.2020 को अपील खारिज एवं पत्रावली लौटाई गई किन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त पत्रावली की सुनवाई पुनः चालु करवाकर गलत तरीके से प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 की सुनवाई करवा रहा है, जो कानुन गलत है एवं विधि विरूद्ध हैं। प्रार्थी की जो अपील आर ए ए से खारिज हुई है उसके विरूद्ध न जाकर आप माननीय न्यायालय में आया है जबकि आ ए ए ने उक्त पत्रावली को आप माननीय न्यायालय को सुनवाई हेतु नही भेजकर दाखिल दफतर भेजी हैं। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

3. हमने विद्ववान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा न्यायिक दृष्टान्त निम्न पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

- सुबोध कुमार बनाम शमीम अहमद –L L 2021 SC 134 ( सिविल अपील न. 802–803 ऑफ 2021)
- संग्राम सिंह बनाम इलेक्शन ट्रिब्युनल कोटा, भूरेलाल बया Citation–1955 AIR 425, 1955 SCR(2)1
- पी. किरण कुमार बनाम ए.एस. खादर व अन्य (अपील सिविल –3285–86 ऑफ 2022)
- एन. मोहन बनाम आर. माधु (सिविल अपील न. 8898 ऑफ 2019)
- राजस्थान रेवेन्यु बोर्ड– अजमेर, बोगी देवी बनाम हुलासी– 2023(1) RRT 227, निर्णित–22.12.2022

4. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान के तर्को को सुना व बहस पर बगौर मनन किया तथा प्रार्थना पत्र व मुल प्रकरण का गहनता से अवलोकन किय हमने पाया की विपक्षी/वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट तहत वाद प्रस्तुत किया था जिसको दिनांक 17.10.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी हेतु पेशी दिनांक 16.12.2016 को नियत की गई। दिनांक 16.12.2016 को प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की तरफ से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाब का अवसर चाहा जिससे अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 16.02.2017 को नियत की गई। दिनांक 16.02.2017 को प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा फिर से जवाब का अवसर चाहने से अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 11.05.2017 को नियत की गई। दिनांक 01.05.2017 को पत्रावली तलब कर राजस्व लोक अदालत अभियान 2017 " न्याय आपके द्वार " आयोजित किये जाने से पक्षकारान को सुचित किया जाकर कैम्प अमरपुरा (जा.) में दिनांक 10.05.2017 को पेश होने हेतु लिखा गया। दिनांक 10.05.2017 को मुल प्रकरण संख्या वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के उपस्थित होकर बहनो को हिस्सा देना स्वीकार किये जाने से वाद डिक्री किया गया। प्रार्थी /प्रतिवादी द्वारा पारित डिक्री को अपास्त किये जाने हेतु प्रार्थना 9 नियम 13 [illegible] पेश किया गया।

5. आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी में प्रावधान है कि [illegible] किसी [illegible] मामले में जिसमें डिकी किसी प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय पारित [illegible] प्रतिवादी [illegible] अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा [illegible] की गई थी और यदि वह

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.02.23 16:58:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामील सम्यक रूप से नहीं की गई थी या वह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो खर्चो के बारे में, न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहां तक डिकी उस प्रतिवादी के विरूद्ध है वहां तक वह अपास्त कर दी जाए, और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा। परन्तु जहां डिकी ऐसी है कि केवल ऐसे प्रतिवादी के विरूद्ध अपास्त नहीं की जा सकती वहां वह अन्य सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी या किन्ही के विरूद्ध भी अपास्त की जा सकेगी। परन्तु यह और कि यदि किसी न्यायालय या यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उपसंजात होने के लिए और वादी के दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय था तो वह एकपक्षीय पारित डिकी को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि समन की तामील में अनियमितता हुई थी।

6. प्रकरण में प्रार्थी/प्रतिवादी उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से मुल प्रकरण में जारी डिक्री को अपास्त किये जाने का निवेदन किया हैं। मुल प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी/वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट तहत वाद प्रस्तुत किया था जिसको दिनांक 17.10.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी हेतु पेशी दिनांक 16.12.2016 को नियत की गई। दिनांक 16.12.2016 को प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की तरफ से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाब का अवसर चाहा जिससे अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 16.02.2017 को नियत की गई। दिनांक 16.02.2017 को प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा फिर से जवाब का अवसर चाहने से अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 11.05.2017 को नियत की गई। दिनांक 01.05.2017 को पत्रावली तलब कर राजस्व लोक अदालत अभियान 2017 " न्याय आपके द्वार " आयोजित किये जाने से पक्षकारान को सुचित किया जाकर कैम्प अमरपुरा (जा.) में दिनांक 10.05.2017 को पेश होने हेतु लिखा गया। दिनांक 10.05.2017 को मुल प्रकरण संख्या वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के उपस्थित होकर बहनो को हिस्सा देना स्वीकार किये जाने से वाद डिक्री किया गया। प्रकरण में प्रार्थी/प्रतिवादी को जवाब का पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं कर अवसर ही चाहा। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर यह कथन कहा गया है कि प्रार्थी को कैम्प कोर्ट की सुनवाई की तारीख की सुचना नहीं थी जबकी मुल प्रकरण संख्या में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 कैम्प कोर्ट में उपस्थित होकर वाद को स्वीकार किया। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को कैम्प कोर्ट की सुचना थी उसके बावजुद भी प्रार्थीगण कैम्प कोर्ट में उपस्थित नहीं हुये। आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी न्यायालय या यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उपसंजात होने के लिए और वादी के दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय था तो वह एकपक्षीय पारित डिकी को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि समन की तामील में अनियमितता हुई थी।

7. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी को कैम्प कोर्ट की पेशी की सुचना होने के बावजुद भी प्रार्थी अनुपस्थित रहें। मुल प्रकरण घोषणा का वाद हैं। प्रश्नगत आराजीयात विपक्षी/वादी की पैतृक सम्पती हैं। जिसमें विपक्षी/वादी का भी हक हिस्सा निहित हैं। मुल प्रकरण राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.02.23 16:58:39 IST
Reason: SelfAttested

लोकअदालत–2017 " न्याय आपके द्वार " में स्वीकार किया हैं उसमें हम किसी प्रकार की दखल की आवश्यकता नहीं समझते। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही पाया जाता हैं।

## –:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी. का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.02.23 16:58:39 IST
Reason: SelfAttested